

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अपील अन्त0/ 02 /2024 :: लखनऊ, 01, जनवरी-2025

-:: आदेश ::-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी के पत्र सं0-443/2024 दिनांक 21.12.2024 के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी की पत्रावली से सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी की पत्रावली पर नियमानुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती हैं।

1.	वि0 03/24	सर्वश्री गुफरान अहमद बी0के0ओ0, सिकरौर सहबरी फूलपुर, आजमगढ़.	09-10
2.	वि0 04/24	सर्वश्री गुफरान अहमद बी0के0ओ0, सिकरौर सहबरी फूलपुर, आजमगढ़.	09-10

ह0/01.01.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन- वा0क0अधि0/अपील अन्त0/ 02 /2025 :: लखनऊ, दिनांक :: उक्त।

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी
 - 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी
 - 3- डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि, पीठ-4/पीठ-5, वाराणसी।
 - 4- आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
 - 5- वेब अधिकारी को हस्तांतरित प्रार्थना पत्रों को विभागीय साइड पर अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

आज्ञा से

(तरुण कुमार)

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।